ए-12024/9/2018-प्रशा. ।(बी)

भारत सरकार

नीति आयोग

***

<u>विज्ञापन</u>

नीति आयोग द्वीप विकास एजेंसी के अंतर्गत स्वयं द्वारा अनुमोदित पहलों- पीपीपी परियोजनाओं/अन्य प्रदेयों हेतु अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप प्रशासनों की ओर से, अंडमान और निकोबार के लिए दो (2) परामर्शदाताओं और लक्षद्वीप की ओर से दो (2) परामर्शदाताओं की सेवाएं लेना चाहता है। पदों और नियमों व शर्तों के साथ-साथ सेवा अवधि, पात्रता, अनुभव आदि का ब्यौरा निम्नवत हैः

1	पद का नाम	परामर्शदाता
2	पदों की संख्या	परामर्शदाता अंडमान और निकोबार के लिए 2 (1 अवसंरचना के लिए और 1 पर्यटन के लिए), लक्षद्वीप के लिए दो (एक अवसंरचना के लिए और 1 पर्यटन के लिए)
3	भर्ती का तरीक़ा	खुले बाज़ार से संविदा आधारित
4	संविदा की अवधि	वरिष्ठ परामर्शदाता/परामर्शदाता के तौर पर सेवाकाल 3 वर्ष तक का होगा। किंतु प्रथम और उत्तरवर्ती वर्षों के बाद संबंधित स्थान पर निरन्तरता इस बात पर निर्भर करेगी कि सुस्पष्ट रूप से परिभाषित मुख्य निष्पादक संकेतकों के आधार पर वार्षिक निष्पादन समीक्षा संतोषजनक है या नहीं।
5	शैक्षिक अर्हता	अनुलग्नक-। में उल्लिखित।
6	अनुभव	
7	कार्य विवरण	
8	पारिश्रमिक (प्रतिमाह) और अन्य सुविधाएं,यदि हों	परामर्शदाता पारिश्रमिकः 1,25,000/-रुपए नियत के साथ आवास और आधिकारिक यात्रा पर समूह “क” के प्रारम्भिक स्तर के अधिकारियों के समान यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता **भुगतान अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप प्रशासनों द्वारा किया जाएगा।**
9	तैनाती का स्थान	परामर्शदाता अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप

परामर्शदाताओं की सेवा शर्तें मोटे तौर पर परामर्शदाता दिशानिर्देश सं. ए-12013/2/2015-प्रशा. 1(बी),दिनांक 11.11.2016 के अनुरुप होंगी। ये दिशानिर्देश नीति आयोग की वेबसाइट www.niti.gov.inपर उपलब्ध हैं। तथापि, निर्णायक नियमों और शर्तों का फैसला संबंधित संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाएगा।

आवेदन की प्रस्तुतिः आवेदन केवल ऑनलाइन भेजे जाने चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 25.06.2018 है।

अनुलग्नक I

(क) परामर्शदाता (इंफ्रा)

शैक्षिक अर्हता	<u>अनिवार्य</u> अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित में से कम-से-कम एक अनिवार्य अर्हता होनी चाहिएः (i) किसी भी विषय में स्नातकोत्तर। (ii) इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी स्नातक (बी.ई. अथवा बी.टेक)। <u>वांछनीय</u> (i) पीएचडी (ii) इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर।
अनुभव	अभ्यर्थियों के पास अवसंरचना के क्षेत्रों में कम-से-कम दो वर्ष के अनुभव सहित न्यूनतम पांच वर्ष का अर्हता-उपरांत अनुभव होना चाहिए। अवसंरचना क्षेत्रकों में पीपीपी परियोजनाओं के लिए संव्यवहार परामर्शी सेवाएं (बोली दस्तावेज तैयार करने सहित) प्रदान करने में अनुभव को अधिमान्यता दी जाएगी।
कार्य विवरण	परामर्शदाताओं को सौंपे गए दायित्वों में निम्नलिखित शामिल होंगे परंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे : अंडमान और निकोबार प्रशासन अथवा लक्षद्वीप द्वारा सौंपा गया पीपीपी परियोजनाओं तथा अन्य प्रदेयों से संबंधित कार्य।

(ख) परामर्शदाता (पर्यटन)

शैक्षिक अर्हता	<u>अनिवार्य</u> अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित अनिवार्य अर्हता होनी चाहिएः (i) पर्यटन प्रबंधन में स्नातकोत्तर (टूरिज़्म और हॉसपिटैलिटी में एमबीए/मास्टर ऑफ टूरिज़्म एडमिनिस्ट्रेशन/टूरिज़्म और हॉसपिटैलिटी आदि में एमए/एमएससी) <u>वांछनीय</u> (ii) पर्यटन में पीएचडी
अनुभव	अभ्यर्थियों के पास पर्यटन क्षेत्र में कम-से-कम दो वर्ष के अनुभव सहित न्यूनतम पांच वर्ष का अर्हता-उपरांत अनुभव होना चाहिए। तटीय/समुद्रीय/द्वीप पर्यटन में अनुभव को अधिमान्यता दी जाएगी।
कार्य विवरण	परामर्शदाताओं को सौंपे गए दायित्वों में निम्नलिखित शामिल होंगे परंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे : अंडमान और निकोबार प्रशासन अथवा लक्षद्वीप द्वारा सौंपा गया पर्यटन संबंधी कार्य।